



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

निविदा सूचना संख्या:- 28/2018-19

दिनांक

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्यो हेतु ई-निविदा के माध्यम से निविदाये आमंत्रित की जाती है:-


क.सं.	कार्य का नाम	प्राधिकरण द्वारा आकलित मूल्य (रु० लाख में)	घरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रु० में) समस्त करों सहित	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पत्र श्रेणी	अभियंत्रण खण्ड
1	फतेहाबाद रोड स्थित आगरा विकास प्राधिकरण की ताज नगरी आवासीय योजना फेस-2 के अर्न्तगत ए.डी.ए हाईट्स के निकट विकसित जोनल पार्क को 03 वर्षों के संचालन/रख-रखाव हेतु आउट सोर्स करने हेतु।	9.00 प्रतिवर्ष	5.00/-	1680/-	03 वर्ष	विशिष्ट श्रेणी	खण्ड-2

• उक्त कार्यो की निविदाये दिनांक 05.03.2020 को आमंत्रित की जाती है। यह निविदाये दिनांक 15.02.2020 से 04.03.2020 के अपराह्न 3:00 बजे तक ई-निविदा पोर्टल www.etender.up.nic.in पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।

• निविदा सम्बन्धी विस्तृत शर्तें एवं अन्य विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट www.adaagra.in पर देखी जा सकती है।

नियम व शर्तें:-

- 1- उक्त कार्यो की निविदाये दिनांक 05.03.2020 को आमंत्रित की जाती है, जो कि उसी दिन 12:30 अपराह्न खोली जायेगी।
- 2- निविदाये दिनांक 15.02.2020 के अपराह्न 12:30 बजे से दिनांक 04.03.2020 के अपराह्न 3:00 बजे तक ई-निविदा पोर्टल www.etender.up.nic.in पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।
- 3- निविदा के साथ रु 100/- का स्टैम्प पेपर एवं रु 02/- का रसीदी टिकट अपलोड करना होगा।
- 4 (क)- वांछित घरोहर धनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से निविदा तिथि से एक दिन पूर्व तक प्राधिकरण खाता संख्या 540002010006001 (बैंक का नाम/पता -यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया ए.डी.ए ब्रान्च जयपुर हाउस, आगरा) IFSC CODE UBIN0554006 में जमा करना अनिवार्य होगा तथा इसके साक्ष्य के रूप में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी घरोहर धनराशि के यूटी.आर. नंबर का विवरण भी निविदा के साथ अपलोड कराया जाना आवश्यक है, अन्यथा की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4 (ख)- घरोहर धनराशि एफ.डी.आर./एन.एस.सी. के माध्यम से भी जमा की जा सकती है। राष्ट्रीकृत बैंक की एफ.डी.आर. अथवा एन.एस.सी. के माध्यम से जो कि अधिशासी अभियंता के पक्ष में बंधक की गयी हो, निविदा से एक दिन पूर्व अधिशासी अभियंता कार्यालय में 3:30 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा तथा घरोहर धनराशि की छायाप्रति/स्कैन प्रति निविदा के साथ अपलोड करना होगा। अन्यथा की दशा में निविदा मान्य न होगी।
- 5-निविदा अपलोड करने से पूर्व निविदा दाता स्थल का निरीक्षण कर कार्य सम्पादन की परिस्थितियों का आकलन अवश्य कर ले। समस्त शंकाओं का समाधान सम्बन्धित अधिशासी अभियंता से कर लें। निविदा अपलोड करने के उपरान्त निविदादाता का कोई अन्य पक्ष मान्य न होगा। सशर्त निविदा मान्य न होगी।
- 6-विशिष्ट श्रेणी के कार्यो के अर्न्तगत प्रश्नगत कार्य में दक्ष निविदादाता/फर्म द्वारा भाग लिया जा सकता है। इन कार्यो हेतु प्राधिकरण में पंजीकरण की बाध्यता न होगी। सफल निविदा दाता को पंजीकरण की औपचारिकता पूर्ण करानी होगी।
- 7-निविदा की दरें शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी।
- 8-निविदा की दरें कार्य की लागत से निम्न होने की दशा में लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 आडिट/08टी.सी-2, दिनांक 08 जून 2012 के अनुसार वांछित परफोरमेन्स गारन्टी अनुबन्ध से पूर्व देय होगी।
- 9-सभी निविदादाताओं को श्रम विभाग, जी.एस.टी एवं अन्य कोई विभाग (जहाँ कोई टैक्स देय हो) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- 10-निविदादाता कम्पनी का कम्पनी के निदेशक या फर्म के पार्टनर को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि प्रश्नगत निविदा प्रक्रिया में भागीदार अन्य किसी फर्म या कम्पनी में न तो वह स्वयं पार्टनर है न ही निदेशक है, तथा उसका कोई निकटतम सम्बन्ध जैसे पिता, माता, पुत्र, पुत्री, पत्नी एवं भाई आदि भी प्रश्नगत निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली अन्य किसी फर्म में पार्टनर नहीं है अथवा प्रश्नगत निविदा प्रक्रिया में भागीदार अन्य किसी कम्पनी में निदेशक नहीं है।
- 11-विद्युत सम्बन्धी कार्य उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि० की विशिष्टियों के अनुरूप तथा सिविल कार्य उ०प्र० लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाने होंगे।
- 12-निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निविदाद रूप से उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, में निहित होगा, जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
- 13- 40 लाख से अधिक धनराशि व विशिष्ट श्रेणी के कार्यो में Two Bid System के अर्न्तगत निविदाये आमंत्रित होगी। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी।
- 14- निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि अपना बैंक एकाउन्ट संख्या का उल्लेख कर दें ताकि असफल निविदादाताओं की धनराशि उनके बैंक एकाउन्ट में हस्तान्तरित की जा सके।
- 15- उक्त वर्णित कार्य में न्यूनतम आरक्षित मूल्य रु 9.00 लाख प्रतिवर्ष है।


मुख्य अभियंता

दिनांक :- 13/02/2020

पत्रांक 1448/डी/सी.ई/2018-19,

प्रतिलिपि :-

- 1-उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।
- 2-सचिव/वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3-अधीक्षण अभियंता को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4-अधिशासी अभियंता ई-टेंडरिंग/कम्पनी के प्रतिनिधि को इस आशय से प्रेषित कि वह वेबसाइट पर प्रकाशित कराये।
- 5-जनसम्पर्क अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे वेब साइट एवं दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराये।
- 6-समस्त अधि०अभि० अपने से सम्बन्धित कार्य की बी.ओ.क्यू. समयान्तर्गत अधि० अभि० ई-टेंडरिंग को निजवाये।
- 7-नोटिस बोर्ड पर घसपा करने हेतु।

मुख्य अभियंता